उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-150/2019/2396/92-2-19-04टीएसी/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 22 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सुलतानपुर में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना एंव विधायक/ सांसद निधि के अंतर्गत कतिपय मार्गो के सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन, खण्डजा व नाली तथा अन्य निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 1,220.75 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-18/2018/185/92-2-18-04टीएसी/2017 दिनांक 25-01-2018 द्वारा श्री जगन्नाथ, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-इलाहाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद के पत्र संख्या-1782/ग्रा0अ0वि0/जांच-सुलतानपुर/18-19 दि0 06-02-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री जगन्नाथ सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-01-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-150/2019/2396 /(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री जगन्नाथ, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in